

21/1/25

वकुलाय फरीकेन उप./पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर पधारे है।
मिसल इल्लवा होकर दिनांक 21.4.25
को पेश हो

21.04.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता वादीगण एवं वादीगण के नाम से
आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर
गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।
पत्रावली फेंसल शमार होकर दायिला वफतर
हो व नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाडमेर